**उत्तर प्रदेश शासन**

**आबकारी अनुभाग-1**

**संख्या-01/24/250/ई-1/तेरह-24-146/16**

**लखनऊ: दिनांक : 01 फरवरी, 2024**

**कार्यालय-आदेश**

**आबकारी विभाग के निम्नलिखित उप आबकारी आयुक्त को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर (वेतनमान 78800-209200, ग्रेड पे रू.7600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) में वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-**

| क्र. | नाम |
|---|---|
| 1 | श्री अशोक कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-122) |

**2. उपर्युक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उप आबकारी आयुक्त के पद से कार्यमुक्त होकर संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।**

**3. उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी की नियमित तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगें। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत अपने कार्य का निवर्हन करते रहेंगे। इस हेतु उन्हें अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि देय नहीं होंगे।**

**(दिव्य प्रकाश गिरि)**
**विशेष सचिव।**

**संख्या-01/24/250 (1)/ई-1/तेरह-24-तद्दिनॉक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।**
**2- आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त नव-प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
**3-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ.प्र., प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।**
**4- सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।**
**5- सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त, जनपद (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।**
**6- सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।**
**7- गार्ड बुक, आबकारी अनुभाग-1**

**आज्ञा से,**

**(उमेश कुमार तिवारी)**
**संयुक्त सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in